# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 1269 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 06-09-, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषयः–** **जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैयापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.4 से 16.4 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 कार्यों को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 6274/2020)।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 523/12–1(2) दिनांक 23.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया था कि टी0एन0 गोडावर्मन बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 को पारित आदेश अनुसार 'वन' को परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार ''समस्त भूमि जो शब्दकोष के अनुसार वन है, सरकारी अभिलेखों में वनों के रुप में दर्ज है अथवा वन के रुप में मान्यता प्राप्त है चाहे उक्त पर सरकार का स्वामित्व हो या निजी व्यक्ति का वन मानी जायेगी।'' उक्त कथन उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के पत्र सं0 883/X-3-2011-8(21)/2010 दिनांक 04.10.2011 के अंतिम पैरा (बिन्दु सं0 03) में वर्णित है (प्रति संलग्न)।

उक्त के अतिरिक्त श्री पी0एल0 पूनिया, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1156/14–2–97–8001111/1997 दिनांक 17.03.1997 के बिन्दु सं0 03 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 को दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि ''वन संरक्षण अधिनियम, 1980 विधिक रुप से मान्य सभी प्रकार के वनों में लागू होंगे, चाहे उनका स्वामित्व किसी का क्यों न हो।'' (प्रति संलग्न)।

अतः प्रकरण में आवश्यक दिशा निर्देश देना चाहें।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।